



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 47] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 5, 2019/माघ 16, 1940
No. 47] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 5, 2019/MAGHA 16, 1940

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 फरवरी, 2019

फा. सं. विनियम/ सुदृढीकरण संशोधन(1)/अधिसूचना/एफ.एस.एस.ए.आई-2018.—खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढीकृत खाद्य) विनियम, 2018 में और आगे संशोधन, जो भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन से, खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 92 की उप-धारा (2) के खंड (ड) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए करना चाहती है, करने के लिए इन विनियमों का प्रारूप इससे प्रभावित हो सकने वाले सभी व्यक्तियों की सूचना के लिए उक्त अधिनियम की धारा 92 की उप-धारा (1) की अपेक्षा के अनुसार एतद्वारा प्रकाशित करती है और एतद्वारा नोटिस दिया जाता है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तिथि से तीस दिनों की अवधि समाप्त होने के बाद विचार किया जाएगा, जिस तिथि को इस अधिसूचना को प्रकाशित करने वाले राजपत्र की प्रतियाँ जनता को उपलब्ध कराई जाएँगी।

यदि कोई आपत्ति या सुझाव हो तो उसे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण, एफडीए भवन, कोटला रोड, नई दिल्ली-110002 को अथवा regulation@fssai.gov.in पर ई-मेल से भेजा जा सकता है।

आपत्तियाँ और सुझाव, जो किसी भी व्यक्ति से उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में प्राप्त किए जाएंगे, उपरोक्त निर्धारित अवधि की समाप्ति से पहले, खाद्य प्राधिकरण द्वारा उन पर विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन विनियमों को 'खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढीकृत खाद्य) संशोधन विनियम, 2019' कहा जा सकता है।

(2) ये राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. खाद्य सुरक्षा और मानक (दृढीकृत खाद्य) विनियम, 2018 (जिन्हें इसके पश्चात इन्हें उक्त विनियम कहा गया है) के,-

- (क) विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (घ) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 “(घक) **“सुदृढीकृत प्रसंस्कृत खाद्य”** से वह खाद्य अभिप्रेत है, जिसे उसकी प्राकृतिक अवस्था से औद्योगिक प्रसंस्करण पद्धतियों से बदल दिया गया हो। उसमें सुदृढीकृत स्टैपल कच्ची सामग्री के रूप में हो सकते हैं और/अथवा उसे अनुज्ञप्त सूक्ष्म पोषक तत्वों से सुदृढीकृत किया जा सकता है और उसमें खाद्य सुरक्षा और मानक (खाद्य उत्पाद मानक और खाद्य सहयोग्य) विनियम, 2011 में विहित सहयोग्य पदार्थ भी हो सकते हैं।”
- (ख) विनियम 3 के उप-विनियम (1) के खंड (ड) के बाद निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्,-
 “(च) सुदृढीकृत प्रसंस्कृत खाद्य सुदृढीकृत खाद्य वस्तुओं, जो धान्य और/अथवा दूध हो सकते हैं, से तैयार किए जा सकते हैं;
 (छ) सुदृढीकृत प्रसंस्कृत खाद्य प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों से औसतन 600 किलो कैलोरी (2000 किलो कैलोरी ऊर्जा का ~1/3) सेवन पर आधारित सूक्ष्म पोषक तत्वों के भारतीय वयस्क आर.डी.ए का 15-30% प्राप्त हो।
 (ज) उच्च वसा शर्करा लवण (एच.एफ.एस.एस.) खाद्य सुदृढीकृत प्रसंस्कृत खाद्य की श्रेणी में शामिल न किए जाएँ।”
- (ग) विनियम 4 के उप-विनियम (1) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 “(2) किसी प्रसंस्कृत खाद्य को सुदृढीकृत करने वाला उत्पादक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सुदृढीकृत प्रसंस्कृत खाद्य में सूक्ष्म पोषक तत्व का स्तर अनुसूची-III में विहित न्यूनतम स्तर से कम न रहे।”
- (घ) विनियम 7 के उप-विनियम (2) के बाद निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्,-
 “परंतु उप-विनियम (2) में यथा विहित अपेक्षाएँ आयोडीनयुक्त लवण (आयोडीन से सुदृढीकृत होने पर) के मामले में लागू नहीं होंगी।”
- (ड) अनुसूची-I में,-
 (क) के खंड (3) की जगह निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्,-

“3. सुदृढीकृत दूध

चिह्नित प्रजातियों का दूध (अर्थात् भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध और ऊँटनी का दूध), पूर्ण क्रीम मिल्क, टोन्ड मिल्क, डबल टोन्ड मिल्क, मखनिया दूध और मानकीकृत दूध को नीचे सारणी में दिए गए स्तर तक सूक्ष्म पोषक तत्वों से सुदृढीकृत किया जाए, जिसमें दूध का पाश्चुरीकरण, निर्जर्मन, अति उच्च तापमान पर निर्जर्मन/उपचार अथवा क्वथन किया जाएगा:

| क्रम सं० | पोषक तत्व | चिह्नित प्रजाति के दूध (अर्थात् भैंस का दूध, गाय का दूध, बकरी का दूध, भेड़ का दूध और ऊँटनी का दूध/ पूर्ण क्रीम मिल्क/टोन्ड मिल्क/ डबल टोन्ड मिल्क/ मखनिया दूध/ मानकीकृत दूध) के प्रति लीटर पोषक तत्वों का स्तर | पोषक तत्व का स्रोत |
|----------|------------|--|--|
| 1. | विटामिन ए | 270 µg RE-450 µg RE | रेटिनिल एसिटेट अथवा रेटिनिल पाल्मिटेट |
| 2. | विटामिन डी | 5 µg -7.5 µg | *कोलकैल्सीफेरॉल अथवा *एर्गोकैल्सीफेरॉल (*केवल पादप स्रात से) |

टिप्पणी : विटामिन ए (रेटिनॉल): 1 IU=0.3 µg RE (रेटिनॉल समतुल्य); विटामिन डी (कोलकैल्सीफेरॉल अथवा एर्गोकैल्सीफेरॉल): 1 IU = 0.025 µg”

(ख) खंड (4) में दूसरी सारणी के बाद निम्नलिखित स्टेटमेंट जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

“बहु-धान्य आटे को भी विटामिनों और खनिजों से उसी स्तर पर सुदृढीकृत किया जा सकता है जो ‘सुदृढीकृत आटे’ के लिए विहित है, परंतु बहु-धान्य आटे में गेहूँ का आटा 50% से अधिक हो।”

(च) अनुसूची-II के बाद निम्नलिखित अनुसूची जोड़ी जाएगी, अर्थात्,-

"अनुसूची-III

सुदृढीकृत प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के मानक

[विनियम 4 का उप-विनियम (2) देखें]

1. सुदृढीकृत धान्य उत्पाद¹:

(1) धान्य उत्पादों में ब्रेकफास्ट धान्य, पास्ता और नूडल शामिल हैं। इनका पौष्टिकीकरण किए जाने पर इनमें योजित आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी-12 नीचे सारणी में दिए गए स्तर पर हो, अर्थात्,-

सारणी

| क्रम सं० | पोषक तत्व/स्रोत | प्रति 100 किलो. पौष्टिकीकरण का स्तर |
|----------|--|--|
| 1 | लौह (मिली ग्राम) फेरस सिट्रेट अथवा फेरस लैक्टेट अथवा फेरस सल्फेट अथवा फेरिक पायरोफॉस्फेट अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक आयरन अथवा फेरस फ्यूमरेट अथवा फेरस बिसग्लाइसिनेट; अथवा सोडियम आयरन (III) इथाइलीन डायामाइन टेट्रा एसिडेट ट्राइहाइड्रेट (सोडियम फेरिडिटेट-NaFeEDTA); | 0.5-1.0 |
| 2 | फोलिक एसिड (µg) | 2.5-5 |
| 3 | विटामिन बी12 (µg)- सायनोकोबालामिन, अथवा हाइड्रोक्सीकाबालामिन | 0.025-0.05 |

इसके अतिरिक्त सुदृढीकृत धान्य उत्पादों को निम्नलिखित सूक्ष्म तत्वों से अकेले अथवा मिलाकर नीचे सारणी में दिए गए स्तर पर सुदृढीकृत किया जा सकता है, अर्थात्,-

सारणी

| क्रम सं. | पोषक तत्व/स्रोत | प्रति 100 किलो कैलोरी पौष्टिकीकरण का स्तर |
|----------|---|---|
| 1. | जिंक (मिग्रा): जिंक सल्फेट | 0.3-0.6 |
| 2. | विटामिन ए (µg RE): रेटिनिल एसिडेट अथवा रेटिनिल पाल्मिटेट, | 15-30 |
| 3. | थियामाइन (विटामिन बी1) (मिग्रा): थियामाइन हाइड्रोक्लोराइड अथवा थियामाइन मोनोनाइट्रेट; | 0.04-0.08 |
| 4. | राइबोफ्लेविन (विटामिन बी2) (मिग्रा): राइबोफ्लेविन अथवा राइबोफ्लेविन 5'-फॉस्फेट सोडियम | 0.04-0.08 |
| 5. | नियासिन (विटामिन बी3) (मिग्रा): निकोटिनेमाइड अथवा निकोटिनिक एसिड | 0.05-1.0 |
| 6. | पायरीडोक्सीन (विटामिन बी6) (मिग्रा): पायरीडोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड | 0.05-0.1 |

¹टिप्पणी : 'सुदृढीकृत धान्य उत्पाद' में नीचे दी गई सीमा से अधिक कुल वसा अथवा ट्रांस फैट अथवा योजित शर्करा अथवा लवण न हो:

सारणी

| (1) | कुल वसा/100 ग्रा (2) | ट्रांस फैट (3) | योजित शर्करा (4) | सोडियम/ 100 ग्रा (5) |
|--------------------------|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| नाशते का सुदृढीकृत धान्य | 12.0 ग्रा से अनधिक | कुल ऊर्जा के 1 प्रति शत से अनधिक | कुल ऊर्जा के 10 प्रति शत से अनधिक | 0.35 ग्रा से अनधिक |
| सुदृढीकृत पाश्ता/ नूडल | 3.0 ग्रा से अनधिक | | | 0.25 ग्रा से अनधिक |

2. बेकरी की सुदृढीकृत सामग्रियाँ²:

- (1) बेकरी सामग्रियों में ब्रेड, बिस्कुट, रस्क और बन शामिल हैं। इन्हें सुदृढीकृत किए जाने पर इनमें योजित आयरन, फोलिक एसिड और विटामिन बी12 नीचे सारणी में दिए गए स्तर पर हों अर्थात्,-

सारणी

| क्रम सं. | पोषक तत्व/स्रोत | प्रति 100 किलो कैलोरी पौष्टिकीकरण स्तर |
|----------|--|--|
| 1. | आयरन (मिग्रा): फेरस सिट्रेट अथवा फेरस लैक्टेट अथवा फेरस सल्फेट अथवा फेरिक पायरोफॉस्फेट अथवा इलेक्ट्रोलाइटिक आयरन अथवा फेरस फ्यूमरेट अथवा फेरस बिसग्लाइसाइनेट; अथवा सोडियम आयरन(III) इथाइलीन डायमाइन टेट्रा एसिडेट ट्राइहाइड्रेट (सोडियम फेरेडिटेट-Na FeEDTA); | 0.5-1.0 |
| 2. | फोलिक एसिड (µg) | 2.5-5 |
| 3. | विटामिन बी12 (µg)- सायनोकोबालामिन, अथवा हाइड्रोक्सीकोबालामिन; | 0.025-0.05 |

- (2) इसके अतिरिक्त बेकरी की सुदृढीकृत सामग्रियों को निम्नलिखित सूक्ष्म पोषक तत्वों से अकेले अथवा मिलाकर नीचे सारणी में दिए गए स्तर पर सुदृढीकृत किया जा सकता है:

सारणी

| क्रम सं० | पोषक तत्व/स्रोत | प्रति 100 किलो कैलोरी पौष्टिकीकरण का स्तर |
|----------|---|---|
| 1. | जिंक (मिग्रा): जिंक सल्फेट | 0.3-0.6 |
| 2. | विटामिन ए (µg RE): रेटिनिल एसिडेट अथवा रेटिनिल पाल्मिटेट, | 15-30 |
| 3. | थियामाइन (विटामिन बी1) (मिग्रा): थियामाइन हाइड्रोक्लोराइड अथवा थियामाइन मोनोनाइट्रेट; | 0.04-0.08 |
| 4. | राइबोफ्लेविन (विटामिन बी2) (मिग्रा): राइबोफ्लेविन अथवा राइबोफ्लेविन 5'-फॉस्फेट सोडियम | 0.04-0.08 |
| 5. | नियासिन (विटामिन बी3) (मिग्रा): निकोतिनेमाइड अथवा निकोटिनिक एसिड | 0.05-1.0 |
| 6. | पायरीडोक्सीन (विटामिन बी6) (मिग्रा): पायरीडोक्सीन हाइड्रोक्लोराइड | 0.05-0.1 |

² टिप्पणी: बेकरी की सुदृढीकृत सामग्रियों में नीचे दी गई सीमा से अधिक कुल वसा अथवा ट्रांस फैट अथवा योजित शर्करा न हो:

सारणी

| (1) | कुल वसा/ 100 ग्रा (2) | ट्रांस फैट (3) | योजित शर्करा (4) | सोडियम/ 100 ग्रा (5) |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| बेकरी की सुदृढीकृत सामग्रियाँ | 8.0 ग्रा से अनधिक | कुल ऊर्जा के 1 प्रतिशत से अनधिक | कुल ऊर्जा के 10 प्रतिशत से अनधिक | 0.25 ग्रा से अनधिक |

3. सुदृढीकृत फल रस³:

(1) सुदृढीकृत होने पर फल रसों में नीचे सारणी में दिए गए स्तर में विटामिन सी हो:

| क्रम सं. | पोषक तत्व/स्रोत | प्रति 250 मि.ली पौष्टिकीकरण का स्तर |
|----------|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. | विटामिन सी (मिग्रा): एस्कोर्बिक एसिड | 36-41 |

³टिप्पणी : सुदृढीकृत फल रसों में कुल वसा अथवा ट्रांस फैट अथवा योजित शर्करा अथवा लवण नीचे सारणी में दी गई सीमा से अधिक न हो:

| (1) | कुल वसा/ 100 ग्रा (2) | ट्रांस फैट (3) | योजित शर्करा (4) | सोडियम/ 100 ग्रा (5) |
|-----------------|--------------------------|-------------------|-----------------------------------|-------------------------|
| सुदृढीकृत फल रस | कोई सीमा नहीं | कोई सीमा नहीं | कुल ऊर्जा के 10 प्रति शत से अनधिक | कोई सीमा नहीं |

पवन अग्रवाल, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./521/18]

टिप्पणी : मूल विनियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना सं. फा. सं. 11/03/विनियम/पौष्टिकीकरण/2014, दिनांक 2 अगस्त, 2018 द्वारा प्रकाशित हुए थे।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety and Standards Authority of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th February, 2019

F. No. REG/Fortification Amendment (1)/Notification/FSSAI-2018.— The following draft of certain regulations further to amend the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018, which the Food Safety and Standards Authority of India proposes to make, with the previous approval of the Central Government in exercise of powers conferred by clause (e) of sub-section (2) of section 92 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006) is hereby published as required by the said sub-section (1) of section 92, for the information of persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after expiry of a period of thirty days from the date on which the copies of the Official Gazette in which this notification is published are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Chief Executive Officer, Food Safety and Standards Authority of India, Food and Drug Administration Bhawan, Kotla Road, New Delhi-110002, or may be sent at regulation@fssai.gov.in:

The objection or suggestion which may be received from any person with respect to said draft regulations, before the expiry of the period specified above, will be considered by the Food Authority.

Draft Regulations

1. **Short title and commencement.**- (1) These regulations may be called the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Amendment Regulations, 2019.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Food Safety and Standards (Fortification of Foods) Regulations, 2018 (herein after referred as said regulation)-

(A) In regulation 2, in sub regulation (1), after clause (d), the following clause shall be inserted, namely:-

“(da) **“Fortified Processed Foods”** means foods that have been altered from its natural state by industrial processing methods. The same may have fortified staples as raw materials and/or fortified with permitted micronutrients and additives as specified under the Food Safety and Standards (Food Product Standards and Food Additives) Regulation, 2011.”

(B) in regulation 3, in sub-regulation (1), after clause (e), the following clauses shall be inserted, namely:-

“(f) Fortified Processed Foods may be prepared from fortified food articles that may be cereals and/or milk;

(g) The Fortified Processed Food shall provide 15-30% of the Indian adult RDA of micronutrient based on an average calorie intake of 600 kcal from processed foods (~1/3 of energy of 2000 kcal);

(h) High Fat Sugar Salt (HFSS) Foods shall be excluded from Fortified Processed Foods category.”

(C) in regulation 4, after sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be inserted, namely:-

(2) Any manufacturer who fortifies any processed food shall ensure that the level of micronutrient in such fortified processed food does not fall below the minimum level specified in Schedule-III.

(D) in regulation 7, after sub-regulation (2), the following proviso shall be inserted, namely:-

Provided that the requirements as specified in sub-regulation (2) is not required in case of iodized salt (when fortified with iodine).

(E) in Schedule- I, -

(a) for clause (3), the following shall be substituted, namely:-

“3. Fortified Milk

Species identified Milk (namely buffalo milk, cow milk, goat milk, sheep milk and camel milk), full cream milk, Toned milk, double toned milk, skimmed milk and standardized milk shall be fortified with the following micronutrients at the level given in the table below, wherein the milk is to undergo the process of pasteurization, sterilization, Ultra High Temperature sterilization/treatment or boiling:

| S. No. | Nutrients | Level of nutrient per litre of Species identified Milk (namely buffalo milk, cow milk, goat milk, sheep milk and camel milk)/ Full Cream Milk/Toned milk/double toned milk/skimmed milk/standardized milk | Source of nutrient |
|--------|-----------|---|---|
| 1. | Vitamin A | 270 µg RE- 450 µg RE | Retinyl acetate or Retinyl palmitate |
| 2. | Vitamin D | 5 µg- 7.5 µg | *Cholecalciferol or*Ergocalciferol (*Only from Plant source) |

Note: Vitamin A (retinol): 1 IU= 0.3 µg RE (Retinol Equivalent); Vitamin D (Cholecalciferol or Ergocalciferol): 1 IU= 0.025 µg”

(b) in clause (4), after the second table, following statement shall be inserted, namely :-

“Multi-grain Atta may also be fortified with vitamins and minerals at the same levels specified for ‘Fortified Atta’, provided that the multi grain atta contains more than 50% as wheat flour in it.”

(F) after Schedule –II, the following Schedule shall be inserted, namely:-

“SCHEDULE-III

STANDARDS FOR FORTIFIED PROCESSED FOODS

[See sub-regulation (2)of regulation 4]

1. Fortified Cereal Products¹:

(1) Cereal products include Breakfast cereals, Pasta and Noodles, when fortified, shall contain added iron, folic acid and Vitamin B-12 at the level given in the table below, namely:-

TABLE

| S.No. | Nutrients/Source | Level of Fortification per 100 kcal |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | Iron (mg) Ferrous citrate or Ferrous lactate or Ferrous sulphate or Ferric pyrophosphate or electrolytic iron or Ferrous fumarate or Ferrous Bis Glycinate; or Sodium Iron (III) Ethylene diamine tetra Acetate Trihydrate (Sodium feredetate -Na Fe EDTA); | 0.5-1.0 |
| 2 | Folic acid (µg) | 2.5 -5 |
| 3 | Vitamin B12 (µg) - Cyanocobalamine, or Hydroxycobalamine; | 0.025 -0.05 |

(2) In addition, Fortified Cereal products may also be fortified with following micronutrients, singly or in combination, at the level in the table below, namely:-

TABLE

| S.No. | Nutrient/Source | Level of Fortification per 100 kcal |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1. | Zinc (mg): Zinc Sulphate | 0.3 -0.6 |
| 2. | Vitamin A (µg RE): Retinyl acetate or Retinyl Palmitate, | 15 -30 |
| 3. | Thiamine (Vitamin B1) (mg): Thiamine hydrochloride or Thiamine mononitrate; | 0.04-0.08 |
| 4. | Riboflavin (Vitamin B2) (mg): Riboflavin or Riboflavin 5'-phosphate sodium ; | 0.04-0.08 |
| 5. | Niacin(Vitamin B3) (mg): Nicotinamide or Nicotinic acid; | 0.05-1.0 |
| 6. | Pyridoxine (Vitamin B6) (mg): Pyridoxine hydrochloride; | 0.05-0.1 |

¹Note: ‘Fortified Cereal Products’ shall not have Total Fat or Trans Fat or Added Sugar or Salt beyond the limit specified as under:

TABLE

| (1) | Total Fat/100gm (2) | Trans Fat (3) | Added Sugar (4) | Sodium/100gm (5) |
|-----------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|
| Fortified Breakfast Cereals | Not more than 12.0 gm | Not more than 1 per cent of total energy | Not more than 10 per cent of total energy | Not more than 0.35 gm |
| Fortified Pasta/Noodles | Not more than 3.0 gm | | | Not more than 0.25 gm |

2. Fortified Bakery wares²:

(1) Bakery wares includes bread, biscuits, rusks and buns, when fortified, shall contain added iron, folic acid and Vitamin B-12 at the level given in the table below, namely:—

TABLE

| S.No. | Nutrients/Source | Level of Fortification per 100 kcal |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1 | Iron (mg): Ferrous citrate or Ferrous lactate or Ferrous sulphate or Ferric pyrophosphate or electrolytic iron or Ferrous fumarate or Ferrous BisGlycinate; or Sodium Iron (III) Ethylene diamine tetra Acetate Trihydrate (Sodium feredetate -Na Fe EDTA); | 0.5-1.0 |
| 2 | Folic acid (µg) | 2.5 -5 |
| 3 | Vitamin B12 (µg)- Cyanocobalamine, or Hydroxycobalamine; | 0.025 -0.05 |

(2) In addition, Fortified Bakery wares may also be fortified with following micronutrients, singly or in combination, at the level in the table below:

TABLE

| S.No. | Nutrient/Source | Level of Fortification per 100 kcal |
|-------|---|-------------------------------------|
| 1. | Zinc (mg): Zinc Sulphate | 0.3 -0.6 |
| 2. | Vitamin A (µg RE): Retinyl acetate or Retinyl Palmitate, | 15 -30 |
| 3. | Thiamine (Vitamin B1) (mg): Thiamine hydrochloride or Thiamine mononitrate; | 0.04-0.08 |
| 4. | Riboflavin (Vitamin B2) (mg): Riboflavin or Riboflavin 5'-phosphate sodium ; | 0.04-0.08 |
| 5. | Niacin(Vitamin B3) (mg): Nicotinamide or Nicotinic acid; | 0.05-1.0 |
| 6. | Pyridoxine (Vitamin B6) (mg): Pyridoxine hydrochloride; | 0.05-0.1 |

² **Note:** 'Fortified Bakery Wares' shall not have Total Fat or Trans Fat or Added Sugar beyond the limit specified under:

TABLE

| (1) | Total Fat/100gm (2) | Trans Fat (3) | Added Sugar (4) | Sodium/100gm (5) |
|------------------------|------------------------|--|---|-----------------------|
| Fortified Bakery Wares | Not more than 8.0 gm | Not more than 1 per cent of total energy | Not more than 10 per cent of total energy | Not more than 0.25 gm |

3. Fortified Fruit Juices³:

(1) Fruit juices, when fortified, shall contain Vitamin C at the level given in the table below:

TABLE

| S. No. | Nutrient/Source | Level of Fortification per 250 m L |
|--------|-------------------------------|------------------------------------|
| 1. | Vitamin C (mg): Ascorbic acid | 36 - 41 |

³**Note:** 'Fortified Fruit Juices' shall not have Total Fat or Trans Fat or Added Sugar or Salt beyond the limit specified as under:

TABLE

| (1) | Total Fat/100gm (2) | Trans Fat (3) | Added Sugar (4) | Sodium/100gm (5) |
|------------------------|------------------------|------------------|---|---------------------|
| Fortified Fruit Juices | No threshold | No threshold | Not more than 10 per cent of total energy | No threshold |

PAWAN AGARWAL, Chief Executive Officer

[ADVT. III/4/Exty./521/18]

Note : The principal regulations were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4 *vide* notification number F. No. 11/03/Reg/Fortification/2014, dated the 2st August, 2018.